न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला बीकानेर

बइजलास – श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या – 21/2019

1. ईश्वरलाल पुत्र केसाराम जाति बलाई निवासी बराल तहसील व जिला सीकर (राज.)

..................अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्री कोलायत।
2. चौथादेवी पत्नी स्व. बुधप्रकाश
3. विजय
4. जगदीश प्रकाश
5. दलीप कुमार
6. रंजना

} पिसरान बुधप्रकाश, जाति मेघवाल निवासी मढ़ तहसील कोलायत जिला बीकानेर

..............रेस्पोडेन्टरण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री अरूण राठौड वकील अपीलान्ट
2. श्री हनुमान गिरी वकील रेस्पोडेन्ट सं 2 से 6
3. पैरोकार राज, कोलायत

–: निर्णय :– दिनांक :– 12/12/19

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी की ओर से श्री अरूण राठौड ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत आदेश विरूद्ध तहसीलदार (राजस्व) कोलायत के नामान्तकरण संख्या 467 दिनांक 07.06.2019 ग्राम चाण्डासर के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 24.09.2019 को प्रस्तुत की गयी।

संक्षेप में अपील प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से ग्राम चाण्डासर के खसरा नम्बर 472 में रकबा 2.95 हैक्टर खातेदारी कृषि जरिये बैचनामा दिनांक 18.07.2014 को बुधप्रकाश पुत्र छगनलाल जाति मेघवाल निवासी मढ़ से खरीद की गई। उक्त बैचनामा का रिकॉर्ड अंकन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को दिया गया परन्तु उक्त बैचनामा का नामान्तरकरण दर्ज नही करके बुधप्रकाश के फौत होने पर उनके वारिसों के नाम विरासतन इन्तकाल संख्या 467 दिनांक 07.06.2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 के नाम दर्ज कर दिया गया जो बुधप्रकाश के वारिस है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 467 गलत होने के कारण अपीलान्ट निरस्त करवाना चाहता है।

अपीलान्ट दिनांक 07.08.2019 को हल्का पटवारी के यहा गया और अपने नाम की जमाबन्दी की नकल मांगी तब हल्का पटवारी ने रिकॉर्ड देखकर कहा कि आपके नाम से कोई भूमि दर्ज नही है उक्त इन्तकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 के नाम दर्ज है। तब पटवारी हल्का को इन्तकाल की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया नकल बाद तैयारी उसी दिन

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned by CamScanner

दिनांक 07.08.2019 को नकल दी गई। अपीलान्ट इन्तकाल संख्या 467 दिनांक 07.06.2019 की नकल लेकर वकील से सलाह मशविरा करके व अपील फीस की व्यवस्था करके उक्त अपील सर्वप्रथम जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। जिसमें कुछ दिन की देरी हुई है। मियाद को कण्डोन करते हुवे अन्दर मियाद शुमार की जावें व ग्राम चाण्डासर के इन्तकाल संख्या 467 को निरस्त किया जावें।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्ट्रर की ई व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 6 को नोटिस तामिल करवायें गये जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 की और से श्री हनुमान गिरी एडवोकेट उपस्थित आये व रेस्पोडेन्ट संख्य 1 उपस्थित हुआ। बहस योग्य अभिभाषक अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण व पैरोकारराज सूनी गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस को दौरान अपील मीमों में दर्ज समस्त तथ्यों को दोहराते हुवे नामान्तरकरण संख्या 467 गलत भरा जाने के कारण निरस्त करने का कहा उस पर वकील रेस्पोडेन्टगण ने अपनी सहमति जाहिर की व पैरोकारराज ने अपील मियाद बाहर होने का कहा परन्तु कोई काउन्टर शपथ पत्र नही दिया। तथा मियाद के बिन्दु पर कोई आपत्ति नही की है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व मियाद दफा 5 के प्रार्थना पत्र पर विश्वास करते हुवे अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है। जहा तक अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 467 को कानूनी रूप से गलत दर्ज किया गया है। हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया व अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख व ध्यान पूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया है नामान्तरकरण संख्या 467 दिनांक 07.06.2019 निरस्त किया जाता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है कि नामान्तरकरण संख्या 467 दिनांक 07.06.2019 निरस्त करके अपीलान्ट के नाम बैयनामा अनुसार नामान्तरकरण पुन : दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 12/12/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

प्रतिलिपि श्री प्रतिपालनार्थ तहसीलदार (21) कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है

(प्रदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Kumar
Date: 2020.02.04 13:05:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: